

18 $\frac{6}{24}$

पत्रावली पेश हुई। पत्रार्थ व ककील पत्रार्थ
अपस्थित नहीं। इसके अनुपदिभत रहने के कारण
पत्रार्थना - पत्र से संबंधित मूल दवा अदम परकी
अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। जिससे
भद पत्रार्थना - पत्र आगे चलने योग्य नहीं है।

हुक्म या कार्यवाही विवरण

अतः भद्र प्राप्ति - पत्र इसी क्षतर पर खारिज
क्रिया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुभार
की जावे तथा तरीख तकील की जाकर
दाखिल दफतर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूख)